बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक 27/02/2026

संख्या–8/आ०5–45/2021 314 / जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 1648 दिनांक 20.09.2021 द्वारा श्रीमती सुधा कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अरेराज–सह–प्रभारी पहाड़पुर, पूर्वी चम्पारण–सम्प्रति– सेवानिवृत्त के विरूद्ध फर्जीवाड़ा एवं वित्तीय अनियमितता कर फर्जी तरीके से राशि भुगतान करना, बिना कार्य किये ही पंचायत शिक्षको का वेतन भुगतान कराने में सहयोग करना एवं पदीय दायित्वों के विरूद्ध कार्य करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में श्रीमती सुधा कुमारी से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। तदालोक में प्राप्त बचाव अभिकथन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त आरोप पत्र के समीक्षोपरांत अग्रेत्तर जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 210 दिनांक 24.02.2025 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), पूर्वी चम्पारण को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 141 दिनांक 10.09.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्रीमती कुमारी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्रीमती कुमारी से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन, गठित आरोप एवं जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि पंचायत सचिव के आदेशानुसार प्रधानाध्यापिका द्वारा अलग से उपस्थिति पंजी खोलकर श्री प्रेमचन्द कुमार राम की उपस्थिति बनवाई जा रही थी। उक्त पंजी के आधार पर प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रदत्त अनुपस्थिति विवरणी के साथ दिये गये विपत्र को प्रतिहस्ताक्षरित कर भुगतान हेतु आरोपी पदाधिकारी द्वारा जिला कार्यालय को भेजा गया। जिला अपीलीय प्राधिकार, पूर्वी चम्पारण के वाद संख्या 990/16 दिनांक 29.03.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में जिलास्तरीय प्राप्त आदेश के आलोक में इनके द्वारा प्राप्त विपत्र को प्रतिहस्ताक्षर कर भेजा गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी इसी आशय का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है।

अतः समीक्षोपरान्त श्रीमती सुधा कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अरेराज–सह–प्रभारी पहाड़पुर पूर्वी चम्पारण–सम्प्रति– सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

इसके साथ ही इस मामले को निष्पादित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक 8/आ०5–45/2021 314 पटना, दिनांक 27/02/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर /प्रशाखा–17, पेंशन शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), पूर्वी चम्पारण /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती सुधा कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अरेराज–सह–प्रभारी पहाड़पुर पूर्वी चम्पारण–सम्प्रति– सेवानिवृत्त एवं आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)